## चाँइस (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सूचना से नागरिक सशक्तिकरण)

इसेक्ट्रॉनिक आवेदन दिनाकं/Electronic Application Date 30/09/2016 चॉइस/तोक सेवा केंद्र/Choice/Lok Sewa Kendra दुर्ग तहसील

आवेदन संदर्भ क्रमांक/Application Refrence No. 0704011608002632 विहित प्रभार शुल्क /Net Amount Rs 5.00 /-



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग पाटन, (छत्तीसगढ़) स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र

(अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिये)

आवेदन सन्दर्भ क्रमांक 0704011608002632

रजिस्टींकरण क्रमांक

2017-08-001636

प्रमाणित किया जाता है कि शैली देशलहरे पिता स्व केशुराम देशलहरे निवासी बोरीद तहसील पाटन जिला दुर्ग छग तहसील पाटन तहसील जिला दुर्ग अनुसूचित जाति का सदस्य है और इस जाति को संविधान के अनुच्छेद-341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह सतनामी जाति/जनजाति अनुसूचित जाति/जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक 14 पर अंकित है। अतः शैली देशलहरे पिता स्व केशुराम देशलहरे अनुसूचित जाति का सदस्य है।

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms SHAILEE DESHLAHRE Father LATE KESHURAM DESHLAHRE resident of - village Tehsil Patan Tehsil District Durg belongs to Schedule Caste and according to article 341 such caste is included in connection with the state of Chhattisgarh as Satnami and such caste is mentioned on the serial number 14 of schedule 3,under section 19 of Madhya Pradesh Reorganization Act 2000. Therefore, Mr/Mrs/Ms SHAILEE DESHLAHRE Father LATE KESHURAM DESHLAHRE belongs to Schedule Caste.

2. This certificate is issued under the provisions that in case the District Level certificates verification committee or High Power Certification Scrutiny Committee during its inquiry /inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms SHAILEE DESHLAHRE is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immidiate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under section 8-13 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of social status certification) Act, 2013.

अनुमोदन दिनाकं: 03/06/2017

डिजिटल हस्ताक्षरित

अनुविभागीय अधिकारी

**१.यह प्रमाण पत्र शैंनी देशनहरे की जाति बाबत इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण** पत्र की मुद्धत प्रतिलिपि है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम २००० के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, २००३ के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। This Caste Certificate is printed copy of electronic certificate which is recognise as per Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rule 2003 under the Information Technology Act 2000.

२. इस इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का सक्षम व क्षेत्राधिकार वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होने का सत्यापन मेरे दूवारा किया गया है तथा इस पर मुदित जानकारी उक्त इलेक्ट्रॉनिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में निहित है।

The Electronic Certificate is authenticated with the digital signature of Competent Authority. This has been verified by me and the information printed on Certificate is contained in the above mentioned Electronic Certificate.

3.आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग कर इस प्रमाण पत्र की वैधता बाबत जानकारी edistrict.cgstate.gov.in से अथवा QR Code Scanning से प्राप्त की जा सकती है।

On citing Application Reference Number, validity related details of the Certificate can be obtained at websiteedistrict.cgstate.gov.in. or from QR code Scanning

४.यदि इस प्रमाण पत्र को किसी प्राधिकारी अथवा कार्यालय द्वारा ग्रहण करने से इंकार किया जाता है तो इसकी सूचना निकट के चॉइस केन्द्र/ लोक सेवा केंद्र को दे अथवा दूरभाष क्रमांक 0771-2533350 पर संपर्क करें।

In case of denial of acceptance of the Certificate by any Official or Office, inform the nearest CHO.CE Center/Lok Sewa Kendra or inform through telephone number 0771-2533350.

https://edistrict.cgstate.gov.in/PACE/jasperReportFromAdvSearch.do?applicationId=0704011608002632&DuplicateCopy=0



